मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
--
ज्ञापन

क्रमांक 131 /सी0आर0 48-एक(3) /71 भोपाल, तारीख 3 मार्च, 1971

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश ।

विषय :- पदक्रम सूची ।

==0==

ऐसा देखने में आया है कि जब कभी पदक्रम सूची को विभागाध्यक्षों या अन्य अधिकारियों के पास जांच करने के लिए भेजा जाता है, या लोक सेवा आयोग को भेजा जाता है, तो उसके प्रत्येक पृष्ठ पर किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं रहते । इस परिस्थिति में सूची के पृष्ठों को अनधिकृत रूप से बदले जाने की संभावना हो सकती है । पदक्रम सूची में अनधिकृत रूप से किसी भी पृष्ठ में कोई हेर फेर न हो सके इस दृष्टि से, उसके प्रत्येक पृष्ठ पर उस अधिकारी के हस्ताक्षर होना आवश्यक है जिसने उसे बनाया है । आप अपने अधीन सभी अधिकारियों को इस संबंध में हिदायत दे दें कि पदक्रम सूची को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते समय इस बात का ध्यान रखें कि पदक्रम सूची के हरएक पृष्ठ पर उस अधिकारी के हस्ताक्षर अवश्य रहना चाहिए जिसने उसे बनाया है।

(हस्ताक्षर) 2/3/71
(यू0 वि0 गर्दे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 132 /सी0आर0 48/एक(3)/71 भोपाल, तारीख 3 मार्च, 1971
प्रतिलिपि :-

1- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
3- सचिव, सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
4- राज्यपाल के सचिव/ सैनिक सचिव, मध्यप्रदेश भोपाल
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्य प्रदेश भोपाल
5- स्थापना अधिकारी / लेखा अधिकारी / रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश सचिवालय, भोपाल
6- मुख्य मंत्री / मंत्री / राज्य मंत्रियों के निजी सचिव,
उप मंत्रियों के निजी सहायक ; संसदीय सचिव के निज सहायक

को सूचनार्थ अग्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 2/3/71
उप सचिव ।

:: श्रीवास्तव ::